



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार, टूली बरामद

दिनांक:- 21.01.2023

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र स्व० रक्षपाल सिंह निवासी ग्राम पिपराछीट थाना फरधान जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मु०अ०सं० 15/22 धारा 406 भादवि से सम्बन्धित चोरी की 01 अदद टूली भी बरामद हुई है। बरामदगी के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 46/2023 धारा 25(1-बी) A ACT व 41/411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

- अभियुक्त का नाम/पता:- संदीप सिंह पुत्र स्व० रक्षपाल सिंह नि० ग्राम पिपराछीट थाना फरधान जनपद खीरी।
- बरामदगी :-
01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
01 अदद टूली।
- पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 46/23 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट व 41/411 भादवि थाना हरगांव सीतापुर।
- आपराधिक इतिहास अभि० संदीप सिंह उपरोक्त: -
 - 1.मु०अ०सं० 15/2022 धारा 406 भादवि थाना मैंगलगंज जनपद खीरी।
 - 2.मु०अ०सं० 46/2023 धारा 25 (1-B) आर्म्स एक्ट 41/411 भादवि थाना हरगांव सीतापुर।

• पुलिस टीम थाना हरगांव:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह
2. उ0नि0 सत्य प्रकाश अवस्थी
3. का0 शुभम तोमर
4. का0 शुभम शर्मा
5. म0आ0 रीता

